राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

जगदीश बनाम हरनाथ

तारीख हुक्म	187/2024 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 03/02/2026 को पेश हो।	
03/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 01/02/2023 पारित करते हुए तहसीलदार आमेर को वाके ग्राम नांगल पुरोहित तहसील आमेर, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 543 रकबा 0.065 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 565 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 571 रकबा 0.59 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.51 हैक्टेयर व खाता संख्या 124 के खसरा नम्बर 279 रकबा 0.91 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 47 के खसरा नम्बर 152 रकबा 1.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 279/1189 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 541 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 542 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 544 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 564 रकबा 1.55 हैक्टयर, खसरा नम्बर 566 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 567 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 568 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 569 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 570 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 572 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 573 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 574 रकबा 0.050 हैक्टेयर कुल किता 14 कुल रकबा 5.01 हैक्टेयर का राज. टीनेंसी (बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू) रूल्स 18 से 21 की पालना गम्भीरता से सुनिश्चित कर प्रकरण में समस्त पक्षकारान को नोटिस देकर, उनकी उपस्थिति में समस्त पक्षकारान के जमाबन्दी में अंकित हिस्सेनुसार कब्जे-काश्त को ध्यान में रखते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर विभाजन कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 15/07/2024 पारित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 15/07/2024 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये जाने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	जगदीश बनाम हरनाथ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से किया गया विभाजन विधिसम्मत प्रतीत होता है। विधि अनुसार एवं खातेदार के काश्तकारी अधिकारों के मध्यनजर सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15/07/2024 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	